कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी।

(E-mail:- sikrahnamotihari2015@gmail.com)

अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना संख्याः— 01/2026—27

भाड़े पर वाहन रखने हेतु कोटेशन आमंत्रण सूचना

सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी के अन्तर्गत अवर प्रमंडल पदाधिकारी, **सिकरहना तटबंध अवर प्रमंडल 01,02,03,04 एवं 05 मोतिहारी** के लिए योजनाओं के अनुश्रवण एवं तटबंध निरीक्षण इत्यादि कार्य हेतु वाहन बोलेरो/ स्कॉरपियो चालक सहित **माह अप्रैल 2026 से माह 31 मई 2026 तक एवं 01 नवम्बर 2026 से मार्च 2027 तक 03 अदद् वाहन और बाढ़ अवधि 01 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 तक 02 अदद अतिरिक्त कुल 05 अदद् वाहन** के इच्छुक मालिकों / ट्रेभल एजेण्सी से मुहरबंद लिफाफा में वर्णित वाहन का भाड़े का दर हेतु कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

1	कोटेशन आमंत्रित करने वाले पदा0 का नाम	कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी
2	कोटेशन जमा करने का स्थान	कार्यपालक अभियंता, सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी का कार्यालय (कार्यालय अवधि तक)।
3	कोटेशन जमा करने की तिथि	15.04.2026 ~~तक~~ समय 3.00 बजे अपराहन तक।
4	कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 15.04.2026 के 3.30 बजे अपराहन।

नियम एवं शर्तेः—

1. वाहन के साथ अनुज्ञप्तिधारी चालक वाहन मालिक को उपलब्ध कराना होगा। संतोषजनक कार्य पाये जाने पर मार्च 2027 तक एकरारित दर पर हीं एक साल के लिए अवधि विस्तार किया जा सकता है।
2. चालक का वेतन एवं वाहन का रख—रखाव वाहन मालिक को करना होगा।
3. कोटेशन के साथ व्यवसायिक वाहन का रजिस्टेशन, बीमा प्रमाण पत्र, प्रदुषण प्रमाण पत्र, जी0 एस0 टी0 आदि उपलब्ध कराना होगा।
4. कोटेशन स्वीकार होने पर वाहन मालिक को रू0—1000.00 (एक हजार मात्र) के स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा करना होगा। वाहन का उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारी के नियंत्रण में रहेगा एवं किसी भी परिस्थिति में बिना अनुमति के बाहर नहीं जायेगा। वाहन खराब होने पर वाहन मालिक / फार्म आपूर्तिकर्त्ता का दायित्व होगा की वह तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध करायेगें।
5. वाहन की चोरी अथवा दुर्घटना आदि की सारी जवाबदेही वाहन मालिक / फार्म की होगी।
6. जिला प्रशासन पूर्वी चम्पारण मोतिहारी के द्वारा बोलेरो / स्कॉरपियो के निर्धारित दर पर भुगतान किया जयेगा। वाहन न्यूनतम ए0 सी0 सहित 10.00 कि0 मी0 प्रति लिटर मान्य होगा। एवं गाड़ी का संचालन ईधन सहित किया जिला पदाधिकारी मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 51 दिनांक 30.08.2025 के निर्धारित दर रू0 36000.00 प्रति माह भुगतान किया जायेगा।
7. आवंटन उपलब्ध होने उपरान्त ही लॉग—बुक के आधर पर भाड़े का भुगतान किया जायेगा।
8. कोटेशन के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने एवं बिना कारण बताये रदद् करने पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।
9. शपथ पत्र एवं वांछित कागजात नही रहने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जायेगा। एक से अधिक समान्य न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर लॉट्री के माध्यम से चयन होगा।
10. तीन वर्षों के अनुभव रखने वाले वाहन मालिक / फार्म को प्राथमिकता दी जायेगी। तथा वाहन का मोडल 2019 के बाद का हीं होना चाहिए।
11. लॉग—बुक का संधारण संबंधित पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

Sd/-

कार्यपालक अभियंता,
सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी।

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक 556 / मोतिहारी दिनांक 02/04/2026

प्रतिलिपिः— सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, सिंचाई भवन, पटना को हार्ड एवं शॉफ्ट कॉपी के साथ दैनिक लोकप्रिय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु समर्पित।?

2/4/26

कार्यपालक अभियंता,
सिकरहना तटबंध प्रमंडल मोतिहारी।

Scanned with OKEN Scanner